क्रमांक :- एफ 2 (32) राज./सम्परिवर्तन/2012/4027-33 दिनांक :- 28-11-2012

सम्परिवर्तन आदेश

मारुती सेवा संस्थान अरथुना, अध्यक्ष श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (1) (सी) (ii) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए एतदद्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	:–	मारुती सेवा संस्थान अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:–	नहीं
3.	सम्परिवर्तन भूमि का ब्यौरा :–	:–	
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	:–	ग्राम लोकिया, ग्रा. पं. अरथुना, तहसील गढी
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हे0 में)	:–	आराजी नम्बर 1174/154 रकबा 0.20 है. मे से 0.10 है. एवं 1175/157 रकबा 0.15 है. कुल किता 2 रकबा 0.25 है.अर्थात् 2500 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित कराते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हे. मे या व. मी में)	:–	उपरोक्तानुसार

टिप्पणी :– अकृषि प्रयोग के लिए सम्परिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग का सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	:–	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संबंधी कार्य)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:–	2500 वर्गमीटर का @ 10 रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से डीएलसी दर से अधिक होने से रूपया 25000/– देय होगा।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी	:–	चालान संख्या 383 दिनांक 01–11–2012 द्वारा मद 0029 में रूपया 25000/– जमा हो चुका है।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की	:–	शून्य
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	:–	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया	:–	नहीं
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:–	(1) नियमानुसार संवत् 2069 से लगान की कमी की जावे। (2) ग्राम लोकिया की डीएलसी दर 107145/– बीघा है।

11. उपर्युक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

(क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम राशि समपहृत हो जायेगा।

(ग) नियम 4 में यथा यथा– वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोग के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा।

(ङ) नियमानुसार इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित ग्रामीण सडक के मध्य से 50 मीटर दूरी छोड़कर निर्माण किया जावेगा।

प्रबन्धक
रवीन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय
अरथुना (राज.)

अध्यक्ष
मारुति सेवा संस्थान, अरथुना
तह. गढी जि. बांसवाड़ा (राज.)

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्रतिलिपि :–

1. उपखण्ड अधिकारी, गढी।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा, कार्यालय हाजा।
3. तहसीलदार, गढी को पालनार्थ।
4. तहसील राजस्व लेखाकार, गढी।
5. ग्राम पंचायत अरथुना।
6. पटवार हल्का अरथुना।
7. मारुती सेवा संस्थान अरथुना अध्यक्ष श्री गुलाबचंद देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

प्राचार्य
रवीन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय
अरथूना - बाँसवाड़ा

अध्यक्ष/सचिव
रवीन्द्रनाथ टैगोर महाविद्यालय
अरथूना जिला बाँसवाड़ा

देखिए नियम 9 (बी)

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज)

क्रमांक :– एफ 2 (65)राज./सम्परिवर्तन/2017/ 185   दिनांक :– 7 फरवरी, 2018

–:: सम्परिवर्तन आदेश ::–

मारूती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील, गढी जिला बांसवाडा (राजस्थान) के आवेदन पर उसके खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सम्परिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (बी) में प्रदत्त अधिकारों के तहत कृषि भूमि से वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु) के लिए एतद् द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित व पूरा पता	–	मारूती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील, गढी जिला बांसवाडा (राजस्थान)
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	–	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा:–	–	
	(क) ग्राम, ग्राम पंचायत तथा तहसील का नाम	–	ग्राम लौकिया, पटवार हल्का अरथुना, तहसील गढी।
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (एकड/हैक्टेयर/वर्गमीटर में)	–	ग्राम लौकिया की आराजी नम्बर 1174/154 रकबा 0.20 है0 में से 0.10 है0 एवं 1262/157 रकबा 0.15 है0 किस्म मगरी कुल किता 2 रकबा 0.25 है0 अर्थात 2500 वर्गमीटर
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल का उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (है. में या व. मी. में)	–	उपरोक्तानुसार
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोग के लिए सम्परिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग का सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन	–	वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु)
5.	संदेय प्रीमियम की दर	–	ग्राम लौकिया की डीएलसी दर 156890/– रूपये प्रति बीघा है। अधिकतम 10 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर की राशि 25000 होती है।
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी	–	जीआरएन नम्बर 19640973 दिनांक 27–01–2017 से राशि रूपया 25000/– राजकोष में जमा हो चुका है।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा करायी गयी रकम	–	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 12 के अधीन जारी किया	–	नहीं
9.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	–	(1) नियमानुसार लगान की कमी की जावे।

10 उपर्युक्त सम्परितर्वन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा –

(क) उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 (दो) वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(ग) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(घ) वाणिज्यिक प्रयोजन (शैक्षणिक कार्य हेतु) के लिए सम्परिवर्तित भूमि का उपयोग अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए सक्षम विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जा सकेगा। ... पालना नियमानुसार करेगा।

(ङ) यह भूमि संपरिवर्तन आदेश राष्ट्रीय/राज्य मार्ग से 40 मीटर व ... सडक से 15 मीटर नियमानुसार दूरी को छोडकर किया जावेगा। साथ ही उक्त संपरिवर्तित भूमि के उपर से यदि बिजली की कोई लाईन जा रही है तो उसके नीचे निर्धारित सीमा में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जावेगा। भूमि में कोई प्राकृतिक नाला विद्यमान है तो उसे अवरूद्ध नही किया जावेगा।

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाडा)

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

(1) उपखण्ड अधिकारी, गढी। (2) प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कार्यालय हाजा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढी। (4) तहसील राजस्व लेखाकार, गढी।
(5) सरपंच, ग्राम पंचायत, अरथुना, तहसील गढी। (6) पटवारी, पटवार हल्का, अरथुना तहसील गढी।
(7) मारूती सेवा संस्थान, अरथुना अध्यक्ष, श्री गुलाबचन्द देवडिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राजस्थान)
(8) रक्षित पत्रावली।

विहित प्राधिकारी
(जिला कलक्टर, बांसवाड़ा)

TRUE COPY
शिवलाल पुरी
एडवोकेट
गढी, जि. बांसवाडा
रजि. नं. 1124